रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 1972/चैत्र 17, 1894
No. 73] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 1972/CHAITRA 17, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th April 1972

SUBJECT.—*Address and jurisdiction of the Iron and Steel Control Authorities.*

No. 51-ITC(PN)/72.—Attention is invited to paragraph 5 in Chapter I of the Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1972-73, published under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC(PN)/72, dated 3rd April, 1972, which contains the names of licensing authorities and their jurisdiction

2. According to sub-paragraph 5(1)(vii) of the aforesaid Chapter I, applications for import of iron and steel and ferro alloys from actual users (Non-DGTD units and SSI units) situated in the State of Uttar Pradesh will be entertained by Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Kanpur. The Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Kanpur will entertain such appplications only for the licensing periods April 1972—March 1973 and onwards. Applications for the earlier licensing periods will continue to be dealt with by the Iron and Steel Control Licensing Office at Faridabad. All correspondence in respect of the earlier applications should, therefore, be addressed to the licensing office at Faridabad.

3. The name of the Asstt. Iron and Steel Controller, Faridabad has been changed to "The Deputy Chief Controller of Imports & Exports (Iron & Steel), Faridabad". This office will continue to have the same jurisdiction for issue of licences, except that the work pertaining to import applications received from actual users (Non-DGTD and SSI) situated in the State of Uttar Pradesh for the period April 1972—March 1973 and onwards has been transferred to the office of the Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Kanpur. The office of the Deputy Chief Controller of Imports and Exports (Iron & Steel), Faridabad will also deal with applications for import of iron and steel and ferro alloys from public sector industrial undertakings borne on the books of the DGTD. In this connection, attention is invited to paragraph 5(2)(iv) of the aforesaid Chapter I.

4. The office of the Deputy Iron and Steel Controller, Bombay has been merged with the office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay. The import applications should, therefore, be addressed to the Joint Chief Controller of Imports & Exports (Iron and Steel Division), Central Government Offices New Building, North West Wing, New Marine Lines, Church Gate, Bombay. The licensing jurisdiction of the office has not been changed.

5. The office of the Deputy Assistant Iron and Steel Controller, Madras, has been merged with the office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Madras. Applications for licences should, therefore, be addressed to the Joint Chief Controller of Imports & Exports (Iron and Steel Division), 5th Floor, Laboratory Block, Customs House Building, Madras-I. The licensing jurisdiction of the office has not been changed.

6. The licensing jurisdiction of the office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports (Iron & Steel Division), 4, Esplanade East, Calcutta-1, has not been changed, except that the work pertaining to the applications for import of iron and steel and ferro alloys from public sector industrial undertakings borne on the books of the DGTD, New Delhi for the licensing periods April 1972—March, 1973 and onwards has been transferred to the office of the Deputy Chief Controller of Imports and Exports (Iron & Steel), Faridabad.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1972

विषय :—लोहा तथा इस्पात नियंत्रण प्राधिकारियों का पता तथा अधिकार क्षेत्र ।

सं० 51-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 48—आईटीसी पीएन/72, दिनांक 3—4—72 के अन्तर्गत आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्य-विधि हैंडबुक 1972-73 के अध्याय 1 की कंडिका 5 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें लाइसेंस प्राधिकारियों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार निहित हैं ।

2. उपर्युक्त अध्याय 1 की उप-कंडिका 5(1)(7) के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वास्तविक उपयोक्ताओं (गैर-महानिदेशक तकनीकी विकास एककों तथा लघु पैमाने उद्योग एककों) द्वारा लोहा तथा इस्पात तथा लोह मिश्र धातुओं के आयात के लिए आवेदन पत्र पर विचार उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, कानपुर द्वारा किया जाएगा । उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कानपुर ऐसे आवेदन पत्रों पर केवल अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 तथा आगे की अवधियों के लिए

विचार करेगा। इससे पूर्व की अवधियों के लिए आवेदन पत्रों पर लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, लाइसेंस कार्यालय, फरीदाबाद द्वारा विचार किया जाता रहेगा। इसलिए, पूर्व के आवेदन पत्रों के संबंध में फरीदाबाद लाइसेंस कार्यालय के नाम में सभी पत्राचार किया जाना चाहिए।

3. फरीदाबाद के सहायक लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के नाम को बदल कर "उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात (लोहा तथा इस्पात) फरीदाबाद" कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित वास्तविक उपयोक्ताओं (गैर-महानिदेशक तकनीकी विकास तथा लघु पैमाने उद्योग) से अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 तथा उससे आगे की अवधियों के लिए प्राप्त आयात आवेदन पत्रों से संबंधित उस कार्य को छोड़कर जो उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कानपुर को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं; लाइसेंस जारी करने के लिए इस कार्यालय का क्षेत्राधिकार वही बना रहेगा। उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (लोहा तथा इस्पात) का कार्यालय, फरीदाबाद महा निदेशक तकनीकी विकास की सूची में आए हुए, सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक प्रकल्पों से लोहा तथा इस्पात तथा लौह-मिश्र धातुओं के आयात के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी विचार किया करेगा। इस संबंध में पर्युक्त अध्याय 1 की कंडिका 5(2)(4) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

4. उप लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय बम्बई को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई के साथ मिला दिया गया है। इसलिए, आयात आवेदन पत्रों को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (लोहा तथा इस्पात प्रभाग) केन्द्रीय सरकारी कार्यालय, न्यू बिल्डिंग, नार्थ वेस्ट विंग, न्यू मेरिन लाइंस, चर्च गेट, फोर्ट, बम्बई के नाम में भेजा जाना चाहिए। कार्यालय के लाइसेंस क्षेत्राधिकार को बदला नहीं गया है।

5. उप सहायक लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय, मद्रास को संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय मद्रास के साथ मिला दिया गया है। इसलिए, लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्रों को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (लोहा तथा इस्पात प्रभाग), पांचवीं मंजिल, लैबोरेट्री ब्लाक, कस्टम हाउस बिल्डिंग, मद्रास-1 के नाम में भेजा जाना चाहिए। कार्यालय के लाइसेंस क्षेत्राधिकार को बदला नहीं गया है।

6. सिवाए इसके कि महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली की किताब में आए हुए सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक प्रकल्पों से अप्रैल, 1972-मार्च 1973 और आगे की लाइसेंस अवधियों के लिए लोहा तथा इस्पात तथा लौह मिश्र धातुओं के आयात के लिए आवेदन पत्रों से संबंधित उस कार्य को छोड़ कर जो उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात (लोहा तथा इस्पात) के कार्यालय, फरीदाबाद को हस्तांतरित कर दिया गया है, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (लोहा तथा इस्पात प्रभाग) के कार्यालय, 4, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता–1 के लाइसेंस क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972